



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-11, Aliganj, Lucknow-226024, Telephone-2426696
Email: ecrc@moef.gov.in

पत्र सं० 8वीं/यूपीओ/05/143/2022/एफ.सी।273

दिनांक: 20.07.2022

सेवा में

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन वायु भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Road/152381/2022

विषय: जनपद आगरा में वदीसी आगरा तहसील तहसील कोट गार्म (एस10एस0 39) के किमी० 0.236 के चैनैज 235.030 ग्राम रैना नगर तहसील खैरागढ़ एवं किमी० सं० 245 के चैनैज 244.010 ग्राम सरेंधी तहसील खैरागढ़ पर निर्माण खण्ड 2 लोक निर्माण विभाग आगरा द्वारा राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत राज्य गार्म सं० 39 की बायीं पट्टी पर प्रस्तावित दो ट्रुक ले बाई निर्माण कार्य हेतु 0.408 हे० संरक्षित वनभूमि के वैश्वाभिकी प्रयोग एवं विना वृक्ष पतन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ स्तम्भ(वन) उत्तर प्रदेश शासन का आदेश सं० पी-189/81 2 2022 000/172/2022 लखनऊ, दिनांक-24.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी है।

प्रकरण में विचारोपधान्त भूखे आपके यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके

1. As per the proposal number of trees to be felled is Nil, but according to the Google earth imageries dated Feb-2022, some trees are visible on the forest area proposed for diversion. This needs rectification/clarification.
2. The NEI Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 0.08 ha., which is less than the actual required CA land area.
3. Positional error has been found in the proposed CA land area. This needs rectification.
4. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गुंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(शक्ति) वन विभाग, 17 सभा प्रताप मार्ग लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17 सभा प्रताप मार्ग लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, आगरा अंचल, लखनऊ, उ०प्र०।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग, आगरा, उ०प्र०।
5. पर्यावरण एवं वन अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण विभाग, लखनऊ, उ०प्र०।

पत्रावली

(डॉ० प्राची गुंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 286/11सी— FP/UP/Road/152381/2022 दिनांक, लखनऊ, जुलाई 22, 2022

प्रतिलिपि— वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।